न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

उपस्थितः– मोहम्मद रियाज, एच०जे०एस०,

सत्र परीक्षण संख्या–६८/२००९,

सरकार ....अभियोजक।

बनाम

शमशाद पुत्र मकसूद अली, निवासी पटवारी पुरवा, थाना–नबाबगंज, जिला–बहराइच। ....अभियुक्त।

मु०अ०सं०–६६३/२००९,

धारा–८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट,

थाना–नबाबगंज, जिला–बहराइच।

निर्णय

थाना पुलिस नबाबगंज, बहराइच द्वारा अभियुक्त शमशाद के विरूद्ध धारा–८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच द्वारा संज्ञान लिया गया और नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रकरण इस न्यायालय में अन्तरित किया गया, जिसपर अभियुक्त शमशाद का विचारण धारा ८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट के अन्तर्गत किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक २७.०८.२००९ को थानाध्यक्ष नबाबगंज बी०बी०सिंह अपने सहयोगी पुलिसकर्मी उप निरीक्षक जय नरायन मिश्र, कां० सुरेश कुमार यादव, कां० ज्वाला प्रसाद मिश्रा, कां० वकील कुमार सिंह, मय सरकारी जीव व चालक शिव कुमार मिश्रा थाने से रवाना होकर मुकदमा अपराध संख्या ४६२/२००९ अन्तर्गत धारा ४२०भा०दं०सं० की विवेचना हेतु ग्राम देवरा में उपस्थित थे कि मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक सफेद रंग की मोटर साइकिल पर तीन आदमी सवार होकर आ रहे है जिनके पास चार किलो नाजायज चरस है, यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्चास करके जनता के गवाहान श्री राकेश पुत्र जोगी व राजेन्द्र पुत्र पतिराम, निवासी अहिरन देवरा, थाना–नबाबगंज, जिला–बहराइच को तलाश करके उददेश्य बताकर आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर विश्वास किया कि किसी के पास सूचना से सम्बन्धित नाजायज वस्तु नहीं है कि जीप को मय चालक छोड़कर आवश्यक निर्देश देकर अन्य सहयोगी पुलिस कर्मियों मय गवाहान व मुखबिर के छिपते छिपाते राप्ती नहर पुलिया ग्राम देवरा पहुंचे कि पुल से करीब ५०–६० कदम पहले ही मोड़ के पास छिपकर बैठ गये तथा आने वालों का इन्तजार करने लगे कि इतने में ही एक मोटर साइकिल जिसपर तीन

व्यक्ति सवार थे जैसे ही डामर रोड़ के पास आयी कि एक बारगी दविश देकर घेर मारकर मोड़ के पास ही मोटर साइकिल रोककर नाम, पता पूंछा गया तो मोटर साइकिल चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम हसीब खां पुत्र रफइत खां निवासी परसपुर, थाना–नानपारा, जिला–बहराइच बताया। बीच में बैठे शमशद पुत्र मकसूद अली शेख, निवासी पटवारी पुरवा मजरा देवरा,थाना–नबाबगंज, जिला–बहराइच बताया। मोटर साइकिल संख्या यू०पी० ४०सी–६६७२ से उतार कर जामा तलाशी लेनी चाही तो अभियुक्त शमशाद ने एक किलोग्राम चरस की अपने पास होना बताया। जब अभियुक्त शमशाद ने उक्त चरस देने के कहा तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे पास चरस हैं ऐसी दशा में आपकी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष होगी, इस पर तीनों लोगों ने एक स्वर में कहा कि अब तो आप लोगों ने पकड़ ही लिया है और गवाह बनाना नहीं चाहते हैं, आप ही लोग ले लीजिए जिसपर शमशाद बायीं कांख के नीचे से प्लास्टिक की पन्नी में लिपटा हुआ एक पैकेट निकालकर दिया जिसमें चार कैण्डी है, अलग–अलग किया गया तो सफेद रंग की दो पन्नी में दो–दो कैंडी जिसपर ७७७ अंकित है। अभियुक्त से बरामद चरस के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा तो बार–बार अपनी गलती की माफी मांग रहे थे। अभियुक्त को यह बताते हुए की आपका यह कृत्य धारा ८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट का अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, बताकर मानवाधिकार आयोग व उच्चतम न्यायालय के आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुए समय करीब १६.३० बजे अभियुक्तगण को हिरासत व माल चरस मय मोटर साइकिल को कब्जा पुलिस में लेकर बरामद चरस से ५०ग्राम चरस निकालकर नमूना माल हेतु अलग पैकेट तैयार किया गया। फर्द मौके पर उप निरीक्षक जय नरायन मिश्र को बोलकर लिखवाकर पढ़वाकर गवाहान व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द की एक नकल अभियुक्त को दी गयी तथा गिरफतारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को दी गयी।

वादी मुकदमा के तहरीर प्रदर्श क-१ के आधार पर अभियुक्त शमशाद के विरूद्ध धारा ८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी जिसका इन्द्राज दिनांक २७.०८.२००९ को रपट नं० २९ पर १९.४५बजे किया गया तथा विवेचना उप निरीक्षक राकेश चन्द्र के सुपुर्द की गयी।

विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण करके वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया एवं साक्षियों के धारा १६१ दं०प्र०सं० के बयान अंकित किये गये तथा अभियुक्त शमशाद के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपपत्र धारा ८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आरोपपत्र पर विद्वान सत्र न्यायाधीश, बहराइच द्वारा संज्ञान लिया गया और बाद में पत्रावली नियमानुसार निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त की गयी।

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया और उसके विरूद्ध धारा ८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०१ उप निरीक्षक विजेन्द्र बहादुर सिंह, पी०डब्लू०२ राकेश प्रसाद व पी०डब्लू०३ राजेन्द्र सिंह को न्यायालय में सशपथ परीक्षित कराया गया जिसमें से पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा उप निरीक्षक विजेन्द्र सिंह द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१ को साबित किया गया। शेष अभिलेखों के निष्पादन की सत्यता अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी। इसी कारण अभियोजन पक्ष द्वारा शेष औपचारिक साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१, प्रथम सूचाना रिपोर्ट प्रदर्श क-२, मुकदमा कायमी जी०डी० प्रदर्श क-३, नक्शा नजरी प्रदर्श क-४, आरोपपत्र प्रदर्श क-५, विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ को भेजा गया पत्र प्रदर्श क-६, विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ की आख्या प्रदर्श क-७, को न्यायालय में प्रस्तुत करके साबित किया गया है।

अभियुक्त का धारा ३१३ दं०प्र०सं० का बयान अंकित किया गया जिसमें अभियोजन कथानक एवं साक्ष्य को उसके द्वारा गलत एवं असत्य बताया गया है तथा उसने यह भी कहा है कि मेरी मां ने एस०ओ० विजेन्द्र सिंह के खिलाफ कप्तान साहब को शिकायती प्रार्थनापत्र दिया था, उसी बात पर मुझको घर से पकड़ ले गये और मुझे मुकदमें में फंसा दिया। अभियुक्त को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया परन्तु उसके द्वारा सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैनें विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि दिनांक २७.०८.२००९ को उप निरीक्षक विजेन्द्र बहादुर सिंह अपने हमराहियान के साथ थाना क्षेत्र में मौजूद थे तभी उन्हें मुखबिर से अभियुक्तगण के सम्बन्ध में सूचना मिली थी जिसपर वे मौके पर पहुंचे थे और अभियुक्त शमशाद से एक किलो ग्राम चरस बरामद किया था। उनका तर्क है कि पुलिस द्वारा धारा ५० एन०डी०पी०एस० अधिनियम का अनुपालन करके ही उक्त बरामदगी की गयी थी। उनका तर्क है कि बरामदगी भी स्वतन्त्र साक्षियों के समक्ष हुयी थी और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के अनुसार बदामद पदार्थ चरस पाया गया, ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पास से वाणिज्यिक मात्रा का चरस बरामद हुआ है और अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषी ठहराकर उसे दण्डित किया

जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वर्तमान मामलें में धारा ५० एन०डी०पी०एस०अधिनियम के आज्ञापक प्राविधान का अनुपालन नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि कथित रूप से मौके से एक साथ गिरफतार किये गये तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से यह बताया गया था कि वे अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे दें जबकि धारा ५० एन०डी०पी०एस०अधिनियम के अधिकार से प्रत्येक अभियुक्त को पृथक–पृथक रूप से अवगत कराया जाना चाहिये, इस कारण भी धारा ५०एन०डी०पी०एस० अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। उनका तर्क है कि दो स्वतन्त्र साक्षियों के समक्ष उपरोक्त दर्शित बरामदगी दिखाने का प्रयास किया गया है परन्तु दोनों स्वतन्त्र साक्षी पी०डब्लू०२ राकेश प्रसाद व पी०डब्लू०३ राजेन्द्र सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उनके सामने पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं की है जिससे भी बरामदगी से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभियोजन कथानक पूर्णतया अविश्वसनीय हो जाता है। उनका तर्क है कि न तो कोई नमूना मोहर मौके पर तैयार किया गया और न कोई नमूना मोहर थाने में दाखिल किया गया और न ही कोई नमूना मोहर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही कोई नमूना मोहर पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में नमूना मोहर के अभाव में यह किसी भी प्रकार से नहीं माना जा सकता है कि मौके से बरामद माल ही न्यायालय में पेश किया गया है अथवा मौके से बरामद माल ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु दिया गया, ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं हो सकता है कि यदि कोई पदार्थ अभियुक्त से बरामद भी हुआ था तो वह चरस ही था। उनका तर्क है कि सह अभियुक्त हसीब से दो किलो ग्राम चरस की बरामदगी दर्शित की गयी थी परन्तु सह अभियुक्त हसीब को इस न्यायालय के पूर्वाधिकारी द्वारा पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है और चूंकि वर्तमान अभियुक्त एवं सह अभियुक्त हसीब का मामला एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा एक ही सेट आफ विटनेसेस पर आधारित है, इस कारण स्टेयर डिसाइसिस के सिद्धान्त के आधार पर वर्तमान अभियुक्त भी दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। उक्त स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

वर्तमान मामलें में मुख्य रूप ये यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा बताये गये समय एवं स्थान पर अभियुक्त की नियमानुसार जामा तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलोग्राम चरस बरामद हुआ और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच में भी उसे चरस पाया गया। अतः उक्त तथ्यों एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्को के प्रकाश में ही मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का गहनता से परिशीलन किया गया।

फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१ में यह कहा गया है कि वादी मुकदमा थाना प्रभारी नबाबगंज उप निरीक्षक विजेन्द्र बहादुर सिंह दिनांक २७.०८.२००९ को थाना क्षेत्र में मौजूद थे तभी उन्हें मुखबिर से अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण तथा उनके पास मौजूद चरस के सम्बन्ध में सूचना मिली थी जिसपर घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होनें एक मोटर साइकिल पर सवार तीनों अभियुक्तगण क्रमशः हसीब, शमशाद एवं मो० रिजवान को गिरफतार किया था तथा उन्हें की सूचना पर उनकी जामा तलाशी ली थी तो अभियुक्त हसीब के पास से २ किलोग्राम, शमशाद के पास से १ किलोग्राम तथा मो० रिजवान के पास से १ किलोग्राम चरस बरामद हुआ था। फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१ में यह भी कहा गया है कि अभियुक्तगण के पास चरस की जानकारी होने पर पुलिस दल द्वारा उनसे यह कहा गया कि अभियुक्तगण की जामा तलाशी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष होगी जिसपर तीनों ने एक स्वर में कहा कि चूंकि पुलिस दल ने उन्हें पकड़ ही लिया है तो इसलिए वे अन्य कोई गवाह नहीं बनाना चाहते हैं और पुलिस दल ही उनकी जामा तलाशी ले ले जिसपर पुलिस द्वारा जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त शमशाद ने अपनी बांयी कांख के नीचे से निकालकर एक पैकेट दिया जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें दो सफेद पन्नी में दो कैंडी चरस बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा उप निरीक्षक विजेन्द्र बहादुर सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब अभियुक्तगण ने अपने पास चरस होना बताया तो जामा तलाशी के सम्बन्ध में उनसे पूंछा गया कि क्या वे अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देगें जिसपर तीनों ने एक स्वर में यह कहा कि चूंकि पुलिस दल ने उसे पकड़ ही लिया है, इस कारण पुलिस दल ही उनकी तलाशी ले ले और जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त शमशाद के बायी कांख के नीचे से निकालकर एक पैकेट दिया जिसे खोलकर देखा गया तो सफेद पन्नी में दो-दो कैंडी मिला। इस प्रकार फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१ एवं वादी मुकदमा के साक्ष्य से ही स्पष्ट है कि अभियुक्त के पास चरस की जानकारी होने पर न तो अभियुक्त को अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देने का विकल्प दिया गया और न ही पुलिस दल द्वारा अभियुक्त को उसके अधिकारों से अवगत कराया गया कि उसे यह अधिकार है कि वह अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकता है बल्कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१ एवं पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा के साक्ष्य में किये गये उक्त उल्लेखों से यही परिलक्षित होता है कि पुलिस दल द्वारा अभियुक्त को इस सम्बन्ध में इस प्रकार बताया गया कि जैसे कि वह अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देने हेतु बाध्य हों जिससे भी यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अभियुक्त की जामा तलाशी के समय धारा ५० एन०डी०पी०एस० अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन नियमानुसार नहीं किया गया है। फर्द बरामदगी एवं पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा के साक्ष्य में यह भी कहा गया है कि मौक पर मौजूद तीनों

अभियुक्तगण ने एक ही स्वर में यह कहा कि वे अपनी जामा तलाशी पुलिस दल को ही देना चाहते हैं जिससे स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को धारा ८/२० एन०डी०पी०एस० अधिनियम के प्राविधानों के सम्बन्ध में जिस किसी भी तथ्य से अवगत कराया गया वह संयुक्त रूप से कराया गया जबकि तीनों अभियुक्तगण को अलग-अलग यह बताया जाना चाहिये था कि वे अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकते हैं। इसप्रकार चूंकि तीनों अभियुक्तगण को धारा ५० एन०डी०पी०एस० अधिनियम से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी संयुक्त रूप से दी गयी। इस कारण भी धारा ५० एन०डी०पी०एस० अधिनियम का अनुपालन नहीं हुआ और इस कारण बरामदगी की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हो गयी। फर्द बरामदगी एवं पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा के साक्ष्य में यह भी कहीं नहीं बताया गया है कि पुलिस दल के किस सदस्य ने धारा ५० एन०डी०पी०एस०अधिनियम के प्राविधानों के सम्बन्ध में अभियुक्त को अवगत कराया था बल्कि अत्यन्त अस्पष्ट ढंग से उक्त फर्द बरामदगी में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तगण के पास चरस होने की जानकारी होने पर पुलिस वालों ने तीनों अभियुक्तगण को यह बताया कि उन्हें अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देनी है जबकि पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा ने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि "अभियुक्तगण के पास चरस की जानकारी होने पर जामा तलाशी के सम्बन्ध में पूंछा गया कि आप लोग अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देगें।" इस प्रकार फर्द बरामदगी एवं स्वयं पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा के उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि पुलिस दल के किस सदस्य द्वारा धारा ५० एन०डी०पी०एस०अधिनियम के प्राविधानों के सम्बन्ध में अभियुक्त को अवगत कराया गया जिससे भी स्पष्ट है कि वास्तव में पुलिस दल को धारा ५० एन०डी०पी०एस०अधिनियम के प्राविधानों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उनके द्वारा धारा ५० एन०डी०पी०एस०अधिनियम का नियमानुसार अनुपालन किया गया बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस दल ने केवल धारा ५० एन०डी०पी०एस० अधिनियम का नाम सुन रखा है और केवल उसका अनुपालन दर्शित करने के उददेश्य से उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी फर्द बरामदगी में कुछ उल्लेख कर दिया गया। उक्त परिचर्चा से स्पष्ट है कि धारा ५० एन०डी०पी०एस० अधिनियम का अनुपालन वर्तमान प्रकरण में नियमानुसार नहीं किया गया है। इस कारण जामा तलाशी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में पुलिस दल की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाती है और इसी आधार पर अभियुक्त दोषमुक्त होने के अधिकारी हो जाता है।

फर्द बरामदगी प्रदर्श क'-१ एवं पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा विजेन्द्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक के साक्ष्य में यह आया है कि मुखबिर द्वारा अभियुक्त के पास चरस होने की जानकारी मिलने पर गवाहान राकेश प्रसाद व राजेन्द्र सिंह को पुलिस दल द्वारा अपने साथ में ले लिया गया और उन्होनें साथ में ही मौके पर ले जाकर अभियुक्त से उपरोक्त

बरामदगी की गयी और उक्त राकेश व राजेन्द्र सिंह को क्रमशः पी०डब्लू०२ व पी०डब्लू०३ के रूप में न्यायालय में परीक्षित भी कराया गया है परन्तु उपरोक्त दोनों स्वतन्त्र साक्षियों ने अपने साक्ष्य में कहा है कि न तो थाना प्रभारी उप निरीक्षक, विजेन्द्र बहादुर सिंह ने उनके समक्ष किसी अभियुक्त को गिरफतार किया था और न ही उनके सामने कोई चरस की बरामदगी हुयी थी और इस प्रकार उपरोक्त दोनों साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित कराया गया। इस प्रकार स्वयं अभियोजन पक्ष द्वारा जिन दो व्यक्तियों को गिरफतारी एवं बरामदगी का स्वतन्त्र जन साक्षी बताया गया है उन्होनें ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और यदि फर्द गिरफतारी एवं बरामदगी का स्वतन्त्र व जन साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किया जाये तो इस आधार पर भी गिरफतारी एवं बरागदगी से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में भी उपरोक्त दोनों स्तन्त्र व जनसाक्षियों के अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण अभियुक्त से दर्शित बरामदगी पूर्णतया संदेहास्पद हो जाती है।

फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१ एवं पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा के साक्ष्य में यह कहा गया है कि अभियुक्त के पास से बरामद माल से ५० ग्राम चरस नमूना के रूप में निकाल कर उसे अलग करके सर्व मुहर किया गया तथा शेष माल को एक कपडे में रखकर उसे भी सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया परन्तु फर्द बरामदगी में यह नहीं बताया गया है कि मौके पर नमूना माल एवं शेष माल सर्व मुहर करके तथा नमूना मोहर तैयार करके उनका क्या किया गया अथवा उन्हें कहा रखा गया । पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा ने अपने साक्ष्य में अवश्य यह कहा है कि अभियुक्त से बरामद माल को थाने के माल खने में दाखिल किया गया और मुल्जिमान को थाने के हवालात में दाखिल किया गया परन्तु अपने धारा १६१ दं०प्र०सं० के बयान में भी वादी मुकदमा विजेन्द्र बहादुर सिंह ने यह नहीं कहा है कि बरामद माल को थाने के मालखाने में दाखिल किया गया जिससे यही परिलक्षित होता है कि विधिक राय लेकर उन्होनें प्रथम बार न्यायालय में यह कहा कि उनके द्वारा बरामद माल को थाने के मालखाने में दाखिल किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि विधिक राय प्राप्त करने के बाद भी पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा ने अपने साक्ष्य में यह कहीं भी उल्लिखित नहीं किया है कि नमूना माल एवं नमूना मोहर का उनके द्वारा क्या किया गया अथवा उसे कहां रखा गया जिससे यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है कि न तो मौके से कोई नमूना माल निकाला गया और न ही कोई नमूना मोहर तैयार किया गया और न ही कोई माल अथवा नमूना मोहर थाने के माल खाने में दाखिल किया गया। उक्त परिस्थितियों में यदि कोई नमूना माल एवं नमूना मोहर थाने के माल खाने में दाखिल करके उसे समुचित अभिरक्षा में रखा ही नहीं गया था तो मौके पर ही तैयार किये गये नमूना मोहर के साथ ही नमूना माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने का कोई

प्रश्न ही नहीं था। ऐसी स्थिति में इस तथ्य को ही अधिक बल मिलता है कि बाद में पुलिस द्वारा कोई नमूना माल एवं नमूना मोहर तैयार करके उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया। उक्त परिस्थितियों में यह किसी प्रकार से नहीं माना जा सकता है कि मौके से ही नमूना निकालकर नमूना मोहर एवं नमूना माल तैयार किया गया तथा नमूना मोहर को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। ऐसी स्थिति में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच आख्या प्रदर्श क-७ पूर्णतया महत्वहीन एवं निरर्थक हो जाती है और उसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त के पास से कथित रूप से बरामद किया गया माल चरस ही था।

पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा ने कथित रूप से अभियुक्त से बरामद माल को न्यायालय में प्रस्तुत करके साबित करने का प्रयास किया गया परन्तु पी०डब्लू०१ ने अपने मुख्य परीक्षा में ही कहा है कि न्यायालय में मौजूद सफेद मारकीन के पैकेट में लिपटा हुआ सर्व मुहर माल न्यायालय में खोला गया जिसके अन्दर से दो सफेद पालीथीन में दो कैंडी चरस रखा हुआ बरामद हुआ परन्तु कथित माल को न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए उसपर मौजूद सील मुहर का मिलान नमूना मोहर के सील से नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि कथित रूप से जो माल मौके पर बरामद हआ था उसे ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि किसी बरामदगी को साबित करने हेतु यह अवश्यक होता है कि यदि माल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना संभव है तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे परन्तु उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि नमूना मोहर के सील से प्रस्तुत किये गये माल के सील का मिलान न करने के कारण यह साबित ही नहीं हो सकता है कि मौके पर बरामद किया गया माल ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में यहीं माना जायेगा कि यदि अभियुक्त से कोई माल मौके पर बरामद हुआ था तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और इस कारण भी अभियुक्त से दर्शित एक किलोग्राम चरस की बरामदगी पूर्णतया संदेहास्पद हो जाती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१ एंव स्वयं वादी मुकदमा उप निरीक्षक विजेन्द्र बहादुर सिंह के साक्ष्य में कहीं भी यह नहीं आया है कि अभियुक्त के पास से बरामद माल को मौके पर तौला गया। ऐसी स्थिति में पुलिस दल द्वारा उसका बजन एक किलोग्राम कैसे लिख दिया गया यह स्पष्ट नहीं है। फर्द बरामदगी एवं पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा के मौखिक साक्ष्य में यह कहा गया है कि अभियुक्त ने अपने पास एक किलोग्राम चरस का एक पैकेट होना बताया और ऐसा प्रतीत होता है कि केवल अभियुक्त के बताने के आधार पर ही यह मान लिया गया कि कथित रूप से बरामद माल एक किलोग्राम है परन्तु अभियुक्त के बताने के आधार ही माल के वजन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वास्तव में यह साबित ही नहीं हो पाया है कि यदि अभियुक्त से कोई चरस बरामद भी हुआ तो उसका वजन कितना था।

ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि यदि कोई चरस बरामद भी हुआ तो वह अल्प मात्रा का था। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त के पास से एक किलोग्राम अथवा वाणिज्यिक मात्रा का चरस बरामद हुआ और उक्त परिस्थितियां भी दर्शित बरामदगी को पूर्णतया संदेहास्पद बना देती हैं।

उल्लेखनीय है कि कथित रूप से मौके से तीन अभियुक्तगण क्रमशः हसीब, शमशाद एंव मोहम्मद रिजवान को गिरफतार किया गया था और फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त हसीब के पास से दो किलोग्राम तथा अभियुक्त शमशाद व मो० रिजवान के पास से क्रमशः एक-एक किलोग्राम चरस बरामद किया गया था और वर्तमान पत्रावली के साथ संलग्न विशेष सत्र परीक्षण संख्या-६७/२००९, सरकार बनाम हसीब खां, थाना-नबाबगंज की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सह अभियुक्त हसीब खां को मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक ३०.०४.२०१३ को ही दोषमुक्त किया जा चुका है और उक्त न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि अभियोजन पक्ष अपने कथानक एंव साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त के पास से दो किलोग्राम चरस बरामद हुआ था। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि सह अभियुक्त हसीब खां के पास से दो किलोग्राम चरस की बरामदगी दर्शित की गयी थी परन्तु उसे पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है और चूंकि वर्तमान प्रकरण भी उसी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उन्हीं सेट आफ विटनेसेस पर आधारित है। इस कारण स्टेयर डिसाइसिस (Stare decisis) के सिद्धान्त के आधार पर भी वर्तमान अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

उक्त परिचर्चा से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त शमशाद से उक्त दर्शित समय एवं स्थान पर एक किलोग्राम चरस की बरामदगी को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त शमशाद के विरूद्ध धारा ८/२० एन०डी०पी०एस०अधिनियम के आरोप को यक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त शमशाद आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शमशाद को धारा–८/२० एन०डी०पी०एस०अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं उसके जमानतदारों के जमानतनामें निरस्त करते हुए उन्हें उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

माल मुकदमा अपील की अवधि तक सुरक्षित रखा जाये तथा अपील की दशा में उसका निस्तारण अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन होगा अन्यथा माल मुकदमा राज्य के पक्ष में जब्त किया जाये।

(मोहम्मद रियाज)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,

दिनांकः२७.०४.२०१६, (एस०सी०/एस०टी०एक्ट) बहराइच।

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(मोहम्मद रियाज)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
दिनांकः२७.०४.२०१६, (एस०सी०/एस०टी०एक्ट) बहराइच।